

केन्द्रीय विद्यालय संगठन
Kendriya Vidyalaya Sangathan
18 संस्थागत क्षेत्र, शाहीद जीत सिंह मार्ग
नई दिल्ली 110 016
18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg
New Delhi 110 016
Fax: 26514179/ फोन TEL: 26858570
Website: www.kvsangathan.nic.in

फ.सं.11019/8/2008-केविसं(प्रशा.-II)/1251-1266

दिनांक 30.08.2019


अधिसूचना

विषय : प्रशासन और स्थापना समिति की अधिसूचना ।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के 'मेमोरंडम ऑफ असोसिएशन' (संगम जापन) के नियम 43 (सी) के अनुसार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने अपने पत्र सं. 3-34/1999/यूटी.2 दिनांक 24 दिसंबर, 2008 द्वारा केविसं की 'प्रशासन और स्थापना समिति' के गठन की मंजूरी की सूचना दी है। समिति की संरचना, सदस्यता की अवधि और इसके कार्य को केविसं के कार्यालय आदेश सं. 1-7/2004-केविसं/प्रशा.-II दिनांक 20.01.2019 द्वारा अधिसूचित / परिचालित किया गया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा सदस्यों को नामित किए जाने के फलस्वरूप, समिति का गठन तत्काल प्रभाव से नीचे वर्णित संरचना के अनुसार किया जाता है। नामांकित सदस्यों के कार्यकाल की अवधि दो वर्षों की होगी।

क्रमांक	सदस्य	टिप्पणी
1	श्री आर. सी. मीणा, आई.आर.एस. संयुक्त सचिव (ईई- I) मा. सं. वि. मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	अध्यक्ष (उपाध्यक्ष, केविसं) (पदासीन)
2	श्री अनिल कुमार निदेशक (वित्त) मा. सं. वि. मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	सदस्य (मा. सं. वि. मं. का प्रतिनिधि) (नामांकन द्वारा)
3	श्रीमती वनिता सूद उप-सचिव और मुख्य कल्याण अधिकारी कार्मिक विभाग और ए. आर., कमरा नंबर 385 लोक नायक भवन, नई दिल्ली	सदस्य (का. एवं प्र.वि. का प्रतिनिधि) (नामांकन द्वारा)
4	श्री संतोष कुमार मल्ल, आई.ए.एस. आयुक्त, केविसं	सदस्य (आयुक्त केविसं) (पदासीन)
5	श्री सौरभ जैन, आई.ए.एस. अपर आयुक्त (प्रशा.), केविसं	सदस्य (अपर आयुक्त (प्रशा.) (पदासीन)
6	डॉ. (श्रीमती) वी. विजयलक्ष्मी संयुक्त आयुक्त (प्रशा.)	सदस्य सचिव (संयुक्त आयुक्त (प्रशा./ कार्मिक) (पदासीन)

तदनुसार अधिसूचना जारी की जाती है। सभी संबंधित कृपया ध्यान दें।


(श्री सौरभ जैन)
अपर आयुक्त (प्रशा.)

1. प्रशासन और स्थापना समिति के सभी सदस्य।
2. अवर सचिव (यूटी.2), मा. सं. वि. मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को उनके पत्र सं. 3-19/2019-यूटी-2 दिनांक 23 अगस्त, 2019 के संदर्भ में।
3. अवर सचिव (कल्याण), कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (कल्याण अनुभाग) तीसरी मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली को उनके पत्र सं. 32/4/2019-कल्याण दिनांक 12.07.2019 के संदर्भ में।
4. संयुक्त आयुक्त (प्रशा./ कार्मिक / वित्त / शैक्षिक / प्रशिक्षण), केविसं को इस अनुरोध के साथ कि वे अपने अधीन कार्यरत सभी अधिकारियों / अनुभागों के बीच इसे परिचालित करें।
5. उपायुक्त (ईडीपी) को इस अनुरोध के साथ कि इसे केविसं की वेबसाइट पर अपलोड कराएं।
6. महासचिव / अध्यक्ष, केविसं के सभी मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघों के।